

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2010/437

दिनांक 13.05.10

1. समस्त प्रधानाचार्य, आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सम्बद्ध चिकित्सालय।
2. निदेशक, ई.एस.आई./भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई।
3. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
7. अधीक्षक, कमला नेहरू क्षेत्रीय क्षय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, अजमेर।

विषय :- सेवारत चिकित्सको के लिये 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन कोर्स के सम्बन्ध मे।

सेवारत चिकित्सको के लिये 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन कोर्स 1 अप्रैल 2010 से प्रारम्भ किया जा चुका है, इस कोर्स मे रिक्त रही सीटो हेतु पुनः आयोजित काउन्सलिंग मे निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर काउन्सलिंग हेतु गठित समिति द्वारा चयनित चिकित्सको की सूची संलग्न है। चयनित चिकित्सको को दिनांक 26 मई 2010 को अपनी उपस्थिति संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य हो देनी है। उक्त कोर्स हेतु चयनित आपके अधीन कार्यरत चिकित्सको को निर्धारित संलग्न प्रपत्र मे 5 लाख रुपये का बाण्ड भरवाकर ही कोर्स हेतु कार्यमुक्त करे।

संलग्न : सूची व बाण्ड का प्रपत्र।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2010/437

दिनांक 13-05-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.।
6. उप कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने हेतु।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

SELECTION LIST FOR SHORT DURATION SKILL-UP GRADATION COURSE

S.No	DOCTOR NAME	DRPOST	CAT	RANK	SUBJECT	MEDICAL COLLEGE
1	NIRMAL SINGH	MO	GEN	5	RADIO DIAGNOSIS	JAIPUR
2	SANJAY KUMAR JAIN	MO	GEN	79	RADIO DIAGNOSIS	JODHPUR
3	PRAMOD KUMAR JAIN	MO	GEN	92	RADIO DIAGNOSIS	AJMER
4	KUSUMLATA GOYAL[JOSHI]	MO	GEN	183	GYN & OBST	JAIPUR
5	JITENDRA BUDHANIA	SMO	OBC	188	RADIO DIAGNOSIS	JAIPUR
6	RAJENDRA KUMAR SHARMA	RMO	GEN	194	RADIO DIAGNOSIS	JAIPUR
7	VIVEK GARG	MO	GEN	196	RADIO DIAGNOSIS	AJMER
8	ANURADHA ASWAL	MO	SC	198	PATHOLOGY	JAIPUR
9	SHALINI RATHORE	MO	GEN	200	PATHOLOGY	JAIPUR
10	SABIR HUSSAIN QURESHI	MO	OBC	207	RADIO DIAGNOSIS	AJMER
11	JOKH RAM MEENA	MO	ST	221	PATHOLOGY	JAIPUR
12	NARENDRA S RAJAWAT	MO	GEN	223	PATHOLOGY	KOTA
13	RAVI UPADHAYAY	MO	GEN	227	GYN & OBST	JAIPUR
14	RAMESHWAR LAL BENIWAL	MO	OBC	235	ANAESTHESIA	AJMER
15	SUNIL KUMAR SHARMA	MO	GEN	237	RADIO DIAGNOSIS	UDAIPUR
16	KSHETRA PAL SINGH SHEKHAWAT	MO	GEN	242	ANAESTHESIA	JAIPUR
17	BABITA CHAWLA	MO	SC	244	GYN & OBST	JAIPUR
18	JAGDISH SONI	MO	OBC	251	PATHOLOGY	KOTA
19	LALIT KUMAR SHARMA	RMO	OBC	255	ANAESTHESIA	KOTA
20	PREM CHAND KHATIK	MO	SC	256	ANAESTHESIA	JODHPUR
21	SOURABH ARYA	MO	GEN	258	ANAESTHESIA	JAIPUR
22	JAKIR HUSSAIN 1st	MO	OBC	274	RADIO DIAGNOSIS	BIKANER
23	KAMLESH K TANWANI	MO	GEN	278	PATHOLOGY	AJMER
24	NAINMAL PARMAR	MO	SC	282	GYN & OBST	AJMER
25	MUKESH MEHTA	MO	GEN	295	PATHOLOGY	BIKANER
26	HUKUM SINGH MEENA	MO	ST	300	ANAESTHESIA	JAIPUR
27	BHAVANI SHANKAR GAHLOT	RMO	GEN	311	ANAESTHESIA	BIKANER
28	ASIF HUSSAIN	RMO	GEN	313	ANAESTHESIA	JAIPUR
29	GIRRAJ SHARMA	RMO	GEN	314	ANAESTHESIA	JAIPUR
30	MANISH BOHRA	MO	GEN	315	PATHOLOGY	KOTA
31	BAHADUR LAL MEENA	MO	ST	320	GYN & OBST	AJMER
32	DURGA LAL MEENA	RMO	ST	324	ANAESTHESIA	JODHPUR
33	SURENDRA KUMAR JOSHI	RMO	GEN	327	ANAESTHESIA	AJMER
34	MAHESH CHANDRA MISHRA	MO	GEN	340	GYN & OBST	AJMER
35	SANDEEP TANEJA	MO	GEN	344	ANAESTHESIA	BIKANER
36	GULAB KHATRI	RMO	GEN	350	PATHOLOGY	BIKANER
37	BHAG CHAND GUPTA	RMO	GEN	352	GYN & OBST	BIKANER
38	BIHARI LAL MEENA	RMO	ST	360	PATHOLOGY	AJMER
39	MOHIT SINGH TANVAR	MO	GEN	364	PATHOLOGY	BIKANER
40	MAHENDRA K CHAWALA	MO	SC	370	ANAESTHESIA	AJMER



SELECTION LIST FOR SHORT DURATION SKILL-UP GRADATION COURSE

S.No	DOCTOR NAME	DRPOST	CAT	RANK	SUBJECT	MEDICAL COLLEGE
41	SHASHI DHAR HARVYASI	MO	OBC	379	ANAESTHESIA	AJMER
42	MADHURIMA MAHESHWARI	MO	GEN	384	PATHOLOGY	AJMER
43	SOHAN SINGH RAJPUROHIT	RMO	GEN	387	PATHOLOGY	JODHPUR
44	SUDHIR KUMAR SHARMA	RMO	GEN	392	GYN & OBST	BIKANER
45	SHALU TANEJA	RMO	GEN	408	GYN & OBST	BIKANER
46	SHYAM SUNDER SONI	RMO	OBC	414	ANAESTHESIA	AJMER
47	MUKESH KUMAR SHARMA	MO	GEN	417	ANAESTHESIA	UDAIPUR
48	NEELIMA GOSWAMI	MO	GEN	420	PATHOLOGY	JODHPUR
49	PRAKASH KUMAR GAHLOT	RMO	OBC	422	ANAESTHESIA	JODHPUR
50	NARPAT DAN CHARAN	RMO	OBC	443	GYN & OBST	BIKANER
51	JAGDISH PRASAD KUSHWAHA	RMO	OBC	446	ANAESTHESIA	KOTA
<u>REQUIST FOR COLLEGE CHANGE ACCEPTED</u>						
52	RAM PRASAD MEENA	MO	ANAESTHESIA	AJMER	TO	JAIPUR
53	RAJENDRA KARADIA	MO	RADIO DIAGNOSIS	AJMER	TO	JAIPUR



राज्य कर्मचारी जिसे प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत (इयूटी) पर माना जाता है, द्वारा निष्पादित करने का बॉण्ड (बंध-पत्र)

यह बंध-पत्र आज दिनांक _____ माह _____ वर्ष _____ को एक पक्ष के _____ पद पर नियुक्ति डॉ. _____ पुत्र श्री _____ निवासी _____ (जो एतदपश्चात् "प्रशिक्षणार्थी" कहलायेगे) और दूसरे पक्ष के श्री _____ पुत्र श्री _____ (प्रथम जामिन) और श्री _____ पुत्र श्री _____ (द्वितीय जामिन) (जो एतदपश्चात् सामूहिक रूप से जामिन कहलायेगे, की ओर से राजस्थान के राज्यपाल (जो एतदपश्चात् सरकार कहलायेगे) के पक्ष में लिखा गया।

चूकिं नियमानुसार प्रशिक्षणार्थी के लिये यह आवश्यक है, कि वह अवधि दिनांक _____ से _____ तक प्रशिक्षण प्राप्त करे।

और चूकिं सरकार उक्त प्रशिक्षणार्थी को एतदपश्चात् लिखी शर्तों पर इस शर्त पर कि जामिन यह जमानत (security) देगे कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा कथित शर्तों के अनुसार उचित निष्पादन किया जावेगा, उसे प्रशिक्षण पर रखेगे (place) को (सरकार) सहमत हो गई है।

और चूकिं, जामिन प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसको कथित शर्तों की पूर्णतः अनुपालन निम्न दर्शायी गयी पद्धति के अनुसार करने हेतु जमानत देने को सहमत हो गये हैं :

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्ष्य है :-

(1) कि सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी को नियमानुसार कर और कथित इकरारनामों के अनुसरण में उसे प्रशिक्षण हेतु चयन के प्रतिफल (consideration) में प्रशिक्षणार्थी एतद्वारा सरकार से संविदा (इकरार) करता है, कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के 5 वर्ष के अन्दर वह राज्य सेवा में न तो त्यागपत्र देगा और न सेवानिवृत्ति लेगा।

(2) उपर लिखित प्रतिफल (consideration) और उक्त कथित इकरारनामों के अनुसरण में, प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद्वारा सहमत हैं, कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूर्ण होने के 5 वर्ष की अवधि के अन्दर, यदि प्रशिक्षणार्थी त्यागपत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (clause) 1 का उल्लंघन कर कोई अन्य नियोजन (employment) स्वीकार करता है, तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन संयुक्त रूप और अलग (severally) रूप से राज्य सरकार को वह समस्त राशि अदा करेगे जो सरकार ने प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को दी है एवं इसके साथ वे सब अन्य व्यय भी लौटावेगा जो इसमें सरकार को व्यय करना पड़े किन्तु इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दिये गये यात्रा भत्ते की राशि सम्मिलित नहीं होगी,

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनो को, प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण के दौरान दी हुई यह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी जब तक कि सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध जान पड़े।

इसके साक्ष्य स्वरूप यह बंध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनो द्वारा उपर्युक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षर किया गया है।

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्ष्य

साक्ष्य

यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर लिखित जामिनो के स्वामित्व (possess) में स्थाई संपत्ति (immovable property) है, जिसका मूल्यांकन (valuation) रुपये _____ से कम नहीं है।

विशेष ध्यान हेतु इस प्रमाण-पत्र में जो राशि भरी जावे वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिये जो राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।